

982/2021

13

उदयपुरवाटी जिला मुख्यालय (राज.)

विशेष पटवाटी हस्ता / अधिसूचनांक  
आदेश नं. 982/2021

खारा नं. 179 के खतेदार अनाद श्योचन्द पि. नाथिया दर्ज रिपोर्ट है। उक्त खत  
उदयपुरवाटी परिसर पर खानाभूत के उक्त अनाद श्योचन्द पि. नाथिया के कपाय श्योचन्द  
अना श्योचन्द पि. नाथिया के निवेदन है कि उक्त अनाद श्योचन्द पि. नाथिया के कपाय श्योचन्द  
पि. नाथिया पि. नाथिया के निवेदन है कि उक्त अनाद श्योचन्द पि. नाथिया के कपाय श्योचन्द

क्रमांक राजस्व / 2020 / 759-60  
यूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को भेजा कर विवेक है।  
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है।  
की जाती है।

उक्त किता जाग

08/11/2021

उपखण्ड अधिकारी एवं पदम सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुथुनू (राज.)  
आदेश

दिनांक - 08/11/21

यहाँ पर खता दुरुस्ती प्राप्ति के लिए पदम सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी सहित एवं तहसीलदार (भू0अ0)  
उदयपुरवाटी / मुढागौडजी को विवेक के आधार पर उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी, 1956 की धारा 136 के अनुसार न  
विभाजित दर्ज विवेक को विभाजित रूप से मुक्त किया जाय तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / मुढागौडजी को राजस्व  
रिकार्ड में अन्ततः दुरुस्त के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स	ग्राम	जमावन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	खामौरा	2075-78	179	श्योचन्द पि. नाथिया	श्योचन्द पि. नाथुराम

नोट - शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जाये।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 8/11/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 759-60

- 1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / मुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
- 2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी